न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (जयपुर)

इजलास श्री विरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.) अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

अपील संख्या – 25/2015

1. लालाल

2. ताराचन्द

3. राजेन्द्र पुत्रान चौथूराम

4. कमला देवी

5. तीजा देवी

6. मेवा देवी

7. माली देवी पुत्रियान चौथूराम

समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम द्वारिकपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय कोटपूतली

–रेसपोडेन्ट

2. राजेन्द्र पुत्र चौथू जाति अहिर निवासी ग्राम द्वारिकपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज0)

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 443 ग्राम द्वारिकपुरा तहसील कोटपूतली तस्दीक द्वारा तहसीलदार महोदय कोटपूतली तारीख फैसला दिनांक 08.02.2013

निर्णय दिनांक : 22.7.15

वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील पेश की। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 186/0.31, 191/0.12, 199/0.20, 262/0.65, 289/0.41 कुल किता 5 कुल रकबा 1.69 ग्राम द्वारिकपुरा तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 300/0.18, 301/0.18, 441/0.12, 451/0.21, 456/0.10, 457/0.08, 458/0.08 किता 7 रकबा 1.01 एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 38/0.24, 156/0.09, 157/0.12 वाके मोजा द्वारिकपुरा तहसील कोटपूतली में स्थित है। उक्त आराजी में मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी खातेदार काश्तकार रामनाथ पुत्र धन्ना अहिर थे। रामनाथ पुत्र धन्ना अहिर अविवाहित फौत हो गये। जिनके वारिस उनके सगे भाई चौथू पुत्र धन्ना के लडके व लडकिया अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट है। रामनाथ पुत्र धन्ना की मृत्यु के उपरान्त उनका विरासत नामान्तकरण संख्या 443 अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किये जाते समय अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम चौथूराम के स्थान पर रामनाथ दर्ज कर दिया। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 443 ग्राम द्वारिकपुरा तहसील कोटपूतली में दुरुस्ती की जाकर अपीलान्टगण व तरतीबी

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम रामनाथ के स्थान पर चौथूराम दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर करवाई जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। तरतीबी रेस्पोडेन्ट ने स्वंय उपस्थित आकर अपीलान्ट के कथनो पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।

पेरोकार सरकार उपस्थित आये तथा बिना जबाब दिये बहस किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकुलाये की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 443 ग्राम द्वारिकपुरा दर्ज किये जाते समय अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम चौथूराम की बजाय रामनाथ दर्ज कर दिया। जिसके दुरूस्त किया जाने की कृपा करे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना दिये जाने के उपरान्त ही नामान्तकरण संख्या 443 ग्राम द्वारिकपुरा भरा गया है। यदि उक्त नामान्तकरण में पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है तो यह रिकॉर्ड का तथ्य है, जिसे रिकॉर्ड के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

हमने वकुलाये की बहस सुनी। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त अपील विरासत नामान्तकरण के विरूद्ध दर्ज की गई है। जिसमें रामनाथ अविवाहित फौत हो गया एवं उसके वारिसान उसके भाई चौथू के लडके व लडकिया अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट है। उक्त नामान्तकरण दर्ज किये जाते समय पिता का नाम चौथू के स्थान पर रामनाथ दर्ज कर दिया गया, जो दुरूस्ती योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 443 दिनांक 08.02.2013 ग्राम द्वारिकपुरा तहसील कोटपूतली निरस्त किया जाता है। तहसीलदार कोटपूतली को निर्णय प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान को गुणावगुण पर सुनकर पुनः निर्णय पारित करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कोटपूतली को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.7.15 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner